न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

| मुकदमा नंबर | किस्म मुकदमा | दर्ज दिनांक |
|---|---|---|
| 31/19 | एफएसएस एक्ट, 2006 | 18/12/2019 |

1. वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

–आवेदक

बनाम

1. रामनिवास मीणा पुत्र श्री भारमल मीणा आयु 24 साल जाति मीणा निवासी झूताहेड़ा पंचायत बेजूपाड़ा तहसील बसवा जिला दौसा फर्म/मैसर्स श्रीराम मावा भण्डार करौली हिन्डौन रोड गंगापुर सिटी

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 15.07.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 19.02.2019 को लगभग 02:00 पी.एम. पर श्रीराम मावा भण्डार ,करौली हिण्डौन रोड गंगापुर सिटी पर पहूँचा। वहां पर रामनिवास मीना पुत्र भारमल मीणा आयु 24 साल जाति मीणा निवासी झूताहेड़ा पंचायत बेजूपाड़ा तहसील बसवा जिला दौसा मिला। जिसको आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया तथा विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन /खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति नहीं होना जाहिर किया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। तत्पश्चात् विक्रेता में उपस्थिती में दुकान का निरीक्षण किया। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) 20 किलोग्राम दुकान में रखे फ्रिज में रखा मिला के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ती रसीद ली जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) 01 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 220/'–रू0 नगदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करावे एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) 01 किलोग्राम को चार भागों में विभक्त कर प्रत्येक नमूना भाग में बतौर परिक्षक 20–20 बूंद फार्मेलिन की डाली तथा ढक्कन लगाकर अच्छी तरह बन्द किया। आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूना का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच–1597 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागें से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेफर दोनों पर आवे एवं सील बन्द नमूनों पर गवहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को आवेदक ने अपने कब्जे में लिया।

आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई । जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मो0 असलम द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग फार्म नं0 6 की दो प्रतियों में आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्रापत की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एमएसएसए/2019/808 दिनांक 01.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 117/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2019/120 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु पनीर (खुला ) अवमानक प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने अवमानक खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है तथा विक्रेता द्वारा बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 (2)( v) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है, साथ ही आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जावें ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी फार्म नं0 5 ए नमूना लेने के बाद दिया गया था जो कि नमूना लेने से पहले देना चाहिए था, आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं की गई है।आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के नियम 2.4. 11 का अनुपालन नहीं किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वतंत्र साक्षीयों को नमूने की कार्यवाही के समय नहीं बुलाया और न ही उनका किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (p ) के अनुसार प्रत्येक लोबोटरी का एनएबीएल से एक्रीडेशन/प्रत्ययन व एफएसएसएआई द्वारा धारा 43 के अर्न्तगत मान्यता प्रदान करते हुए अधिसूचित करना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला नयापुरा कोटा अधिसूचित प्रयोगशाला है या नहीं इस बावत् कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा पेपसी इण्डिया होल्डिंग पी लि0 बनाम फूड इन्सपेक्टर व अन्य में पैरा 34,36 में वर्णित तथ्यों की खाद्य विश्लेषक विशिष्ठ प्रयोगशाला में विशिष्ठ विधि का प्रयोग करके ही नमूना का विश्लेषण करेगें और प्रयोगशाला को यदि स्पेशिफाईड नहीं किया गया है तो ऐसी प्रयोगशाला के द्वारा प्रेषित विश्लेषण रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। 2010 (10) यूजे एससी 5070 (एस सी ) पेप्सी को इण्डिया प्रा0लि0 बनाम फूड इन्सपेक्टर व अन्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3 (p ) के अनुसार लैब को एनएबीएल से एक्रीडेशन/प्रत्ययन प्राप्त होने के पश्चात् खाद्य सुरक्षा एवं मानक ऑथिरेटी ऑफ इण्डिया धारा 43 के अर्न्तगत उक्त प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करते हुए अधिसूचित करती है। माननीय उच्च न्यायालय बम्बई ने मैसर्स नेस्टी इण्डिया लिमिटेड बनाम एफएसएसए एण्ड अदर्स में धारा 3पी व 43 को परिभाषित करते हुए आदेश के पैरा 92 से 96 में धारा 3पी 43 की उपयोगिता को व्यक्त करते हुए कहां कि न्यायालय का कार्य केवल यह देखना है कि अधिनियम की धाराओं की पालना अनिवार्य रूप से की या नहीं । अभियुक्त को अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट कभी नहीं भेजी न कभी संसूचित भी नहीं किया जिसके कारण पुनः विश्लेषण करने के लिए धारा 46 4 के तहत अपील करने के अधिकारों का हनन हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय रामेश्वर दयाल बनाम स्टेट यूपी में अभिनिर्धारित किया है कि विपक्षी को अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि वंचित किया जाता है तो परिवाद पोषणीय नहीं है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उक्त कार्यवाही क्वैश फरमाने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 117/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/ 2019/120 दिनांक 18.03.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु पनीर (खुला ) अवमानक प्रकृति का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। अभियुक्त के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आवेदक द्वारा फार्म 5 ए नमूना लेने के बाद दिया गया था जबकि नमूना लेने से पहले देना चाहिए था। जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार अभियुक्त को प्रपत्र 5 ए नमूना लेने से पहले ही दिया गया है तथा अभियुक्त ने ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रपत्र 5 ए नमूना लेने के बाद दिया गया हो। अभियुक्त के अधिवक्ता का कथन है कि स्वतंत्र साक्षीयों को नमूने की कार्यवाही के समय नहीं बुलाया और न ही उनका किसी प्रपत्र पर हस्ताक्षर है। जबकि आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद बिल/कैश मेमो फोटो फर्द पर गवाह के हस्ताक्षर अंकित है। वकील अभियुक्त ने दौराने बहस जिन नजीरों का कथन किया उन नजीरों की प्रति नजीरे न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है, साथ ही यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला में जांच हेतु आवेदन कर सकता था, जिसकी सूचना अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 01.04.2019 द्वारा अभियुक्त को भिजवा दी गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कथन कि अभियुक्त द्वा

बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 (2)( v ) का उल्लंघन किया है। इस संबंध में वकील अभियुक्त ने अपनी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51, 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 50,000 (पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी, आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...15.07.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( रवि वर्मा )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

[illegible] एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी